न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलौदी

पिठासीन अधिकारी :– अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 28/2024
Gcms No. 2024/16

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बाबुराम पुत्र बगताराम जाति जाट निवासी बेन्दो का बेरा तहसील लोहावट जिला फलोदी।		1. राहीराम पुत्र जगमालराम जाति विश्नोई निवासी मोटानियां नगर तहसील बापिणी जिला फलौदी। 2. तहसीलदार बापिणी भुमिधारी सरकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वाद–प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–
वादी की ओर से :– श्री राजुराम चौधरी।
प्रतिवादीगण सख्या (01) की ओर से :– श्री पवन कुमार जोशी।
अप्रार्थीगण सख्या (02) की ओर से :– राज–पैरोकार।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 19/11/2025

वाद प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम पडासला के खसरा नम्बर 648 रकबा 0.5666 हैक्टेयर सामलाती भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की जमीन आई हुई है तथा वादी ने उक्त मूल खसरा नम्बर 648 रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि वादग्रस्त में से जरीये विक्रय पत्र रजिस्ट्री से दिनांक 24.08.2016 को बेचाननामा क्रमांक 201603077101858 उप–पंजियक औसियां में विधिवत विक्रय करवाने के बाद वादी के कब्जे काश्त अनुसार हक–हिस्से की सम्पूर्ण भुमि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेचान कर दी गई। तत्पश्चात राजस्व रिकार्ड ऑनलाई करते वक्त प्रतिवादीगण का आंशीक नाम जमाबन्दी में रह गया और सेग्रीकेशन के दौरान् हिस्सा गलत दर्ज कर दी गई। परन्तु राजस्व कर्मीयों की लापरवाही से प्रतिवादीगण द्वारा पुरा हक–हिस्सा बेचान के बावजुद नाम रख दी गये। राजस्व कर्मीयों द्वारा बिना कोई जांच मिलान किये नाम व हिस्सा गलत रिकार्ड में लिख दिया गया हैं। जिसको दुरूस्त करवा कर खातेदारी की घोषणा के लिए यह वाद अर्न्तगत धारा 88, 91, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 02 की ओर से राज–पैरोकर उपस्थित हुऐ व प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता पवन कुमार जोश उपस्थित हुऐ। वाद में सभी प्रतिवादीगणों को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करनें के बावजुद जबाब नहीं करने पर तहसीलदार बापिणी से मौका व रिकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी।

सहायक कलेक्टर बापिणी

चुकिं प्रार्थी वादी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत Oder 6[17], 6[16] B & Sec.153 Cpc के तहत दरख्वास्त पेश कर निवेदन किया कि विचाराधीन वाद वादी ने प्रतिवादीगण संख्यां 01 का नाम हटा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम का पेश किया हुआ है तथा वादग्रस्त भूमि में उक्त खसरें में राजस्व कर्मियों की भुल से प्रतिवादीगण संख्यां 01 के द्वारा अपना सम्पुर्ण हिस्सा बेचान कर देने के बाद भी खाते में नाम रह गये हैं। जिनको हटा कर रिकार्ड सही के लिए धारा 136 एलआर एक्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था। परन्तु 136 एलआर एक्ट में नाम हटा कर निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं होने के कारण प्रकरण को धारा 136 के स्थान पर 88, 91, 92–ए में परिर्वतन करवाना चाहता हुं। यानि प्रार्थना पत्र को वाद पत्र में पढा जाने का एक आंशिंक संशोधन मात्र हैं। इससे प्रकरण की प्रकृति एंव विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पडेंगा। और Oder 6 [16] B Cpc में अभिवचन का काट दिया जाना या हटाया जाकर संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार तथा अस्वीकार करना न्यायालय का विवेकाधिकार हैं। परन्तु तकनीकी आधार पर इन्कार नहीं किया जा सकता हैं। और Oder 6[17] Cpc में अभिवचनों का संशोधन – न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्याया संगत हों, परिवर्तित करने या ऐसे सभी संशोधन किये जा सकेगें। एंव Sec. 153 Cpc में संशोधन करने की साधारण शक्ति – न्यायालय किसी भी समय और खर्च सम्बन्धी ऐसी शर्तो पर या अन्यथा जो ठीक समझे, वाद की किसी भी कार्यवाही में की किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधिक कर सकेगा, और ऐसी कार्यवाही द्वारा उठायें गऐ या उस पर अविलम्ब वास्तविक प्रश्न या विविधक के अवधारण के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन किये जावेगें। इसलिए प्रार्थना पत्र को दावें में संस्थापित करना हैं। अतेव दावें में सामिल प्रतिवादीगण संख्यां 01 का नाम जमाबन्दी से डिलिट करना आवश्यक हैं। तथा प्रार्थी वादी के प्रार्थना पत्र को दावें में परिर्वतन करने की अर्जी मन्जुर करने योग्य पायी गई हैं।

तहसीलदार बापिणी की ओर से मौका जांच रिपोर्ट पेश हुई जिसे राज–पैरोकार के जबाब के रूप में पेश हुई। तथा अधिवक्ता वादी की एक पक्षिय बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने दावें के पैराज को दौहराते हुऐ बताया कि वादी के नाम की खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 648 रकबा 0.5666 में प्रतिवादीगण संख्यां 01 ने सम्पुर्ण रकबें की भूमि का बेचान करने व प्रतिवादीगण का नाम कोई बेचान करने बाद कोई हिस्सा नहीं रहा हैं। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भुलवंश बिना कोई रिकार्ड देखें अपने मनमाने तरीके से नामान्तकरण दर्ज करते गये। वादी एंव प्रतिवादीगण की भूमि के रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया गया हैं। अतेव वादी की ईस्तदुआ और तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एक समान हैं। इसलिए वादी के खसरा नम्बर 648 रकबा 0.5666 हैक्टेयर में से बेचान करने के बाद वास्तविक भूमि पर प्रतिवादीगण संख्यां 01 के नाम रिकार्ड से हटाकर वादी के हिस्से में बेचाननामा अनुसार रकबा बढाया जाकर वादी को 0.1062 हैक्टेयर भुमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर, रिकॉर्ड हिस्सा दुरूस्ती बाबत पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

वादी के वाद में मौका जांच रिपोर्ट प्रेषित कमाक/भु.अ./न्याया./2024/901 दिनांक 18.06.2024 की तथयात्मक रिपोर्ट में वर्तमान चालू रिकार्ड में वादी के खसरा नम्बर 648 रकबा 0.5666 हैक्टेयर एंव प्रतिवादीगण संख्यां 01 का खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर बापिणी

648 की जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्यां 47 में सह–खातेदार के रूप में सहीराम पुत्र जगमालराम 1/8, मांगीलाल पुत्र मोटाराम 1/16, सहीराम पुत्र जगमालराम 1/16 वा हिस्से में 1/4 हिस्सा दर्ज था जिसका सम्पुर्ण बेचान सहीराम पुत्र जगमालराम के द्वारा 3/16 वां हिस्से की भुमि का विक्रय करने पर केता बाबुराम पुत्र बगताराम के पक्ष में नामान्तकरण संख्यां 2185 दिनांक 20.11.2016 को स्वीकृत हुआ। परन्तु सेग्रीगेशन के दौरान् जमाबन्दी के खसरा नम्बर 648 रकबा 0.5666 हैक्टेयर में सहीराम पुत्र जगमालराम 1/12, बाबुराम पुत्र बगताराम 1/12 मांगीलाल पुत्र मोटाराम 1/12 वें हिस्सें दर्ज हैं जो कि गलत प्रविष्ठि हैं। सही प्रविष्ठि में मांगीलाल पुत्र मोटाराम का 1/16 वां हिस्सा व बाबुराम पुत्र बगताराम 3/16 वां हिस्सा होना था। और सहीराम पुत्र जगमालराम का नाम चालु जमाबन्दी से हटाया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित बताया हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहन अध्ययन, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के पश्चात न्यायालय मत हैं कि वादी के वाद का मुख्य अनुतोष राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में गलत से दर्ज हिस्सा–कस्सी में सुधार करने की घोषणा एंव रिकार्ड दुरूस्ती का है। चुकीं वादी की ईस्तदुआ की तस्दीक प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट से हो रही हैं। तथा मौका जांच रिपोर्ट पर कोई किसी प्रकार का कोई ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ हैं। बल्की प्रतिवादी अधिवक्ता ने वाद स्वीकार कर सहमति जाहिर की हैं। उक्त आधारों पर न्यायालय का यह अभिमत हैं कि वादी का दावा अर्न्तगत धारा 88, 91, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के स्वीकार किये जानें योग्य हैं।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार कर माफिक मौका जांच रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री इस कदर जारी कर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पडासला के खसरा नम्बर 648 रकबा 0.5666 हैक्टेयर में वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज सहीराम पुत्र जगमालराम प्रतिवादीगण के नाम हटाने व वादी का 3/16 वें हिस्से का खातेदार तथा सह–खातेदार मांगीलाल पुत्र मोटाराम का 1/16 वें हिस्से के खातेदार घोषित कर रिकार्ड दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। शेष सह–खातेदार वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा–कस्सी की भूमि यथावत रखी जाती है। मौका जांच रिपोर्ट क्रमाक/भु.अ./न्याया./2024/901 दिनांक 18.06.2024 इस निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार बापिणी तदनुसार अमल दरामद करें। अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो कर सम्बधित को पालनार्थ तेहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमिता विश्नोई (RAS)
सहायक कलेक्टर बापिणी
उपखण्ड अधिकारी बापिणी